न्यायालय : सहायक कलक्टर (फांस्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2018

अनवान :

1. घडसीराम पुत्र जालुराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ंण निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जालुराम पुत्र लिछमण जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. विमला पुत्री जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. ओमप्रकाश जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. हरिसिंह पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. राकेशकुमार पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. विनोदकुमार पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र मील **: प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोंही मौजा मलसीसर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 90/91 के खसरा सं0 179 की 3.124 है0, खसरा सं0 531 की 0.822 है0 खसरा सं0 535/1 की 5.729 है0 कुल 9.675 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जालुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादी के दादा लिछमण की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी लिछमण के नाम से महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा जालुराम के नाम दर्ज हो गई। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 हिन्दू है एवं वे हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होने के चलते वादभूमि में वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादी सं0 2 विमला ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 6 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया। जिस पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गया था तथा इसी अनुसार वादभूमि पर पक्षकारान की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी जालुराम के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 वं 6 ने लोक

अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 व 8 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु घडसीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 90/91 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्रामं मलसीसर सम्वत् 2020 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनांमा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पंत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मलसीसर सम्वत् 2020 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा लिछमण वल्द आसा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में जालुराम के वारिसान में पांच पुत्र ओमप्रकाश, घडसीराम, हरीसिंह, राकेश कुमार, विनोद कुमार व एक पुत्री विमला कुल छः वारिसान होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 90/91 के खसरा सं0 179 की 3.1240 है0, खसरा सं0 531 की 0.8220 है0 खसरा सं0 535/1 की 5.7290 है0 कुल 9.6750 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जालुराम के नाम से ख़ातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी घडसीराम, प्रतिवादी सं0 1 जालुराम, 3 ता 6 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी 1, 3 ता 6 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी घडसीराम व प्रतिवादी 1, 3 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजसव रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......01-6-18...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2018

अनवान :

1. घडसीराम पुत्र जालुराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. जालुराम पुत्र लिछमण जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. विमला पुत्री जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. ओमप्रकाश जालुराम जांगिड़ ब्राहम्णं निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. हरिसिंह पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. राकेशकुमार पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. विनोदकुमार पुत्र जालुराम जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 90/91 के खसरा सं0 179 की 3.1240 है0, खसरा सं0 531 की 0.8220 है0 खसरा सं0 535/1 की 5.7290 है0 कुल 9.6750 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जालुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी घडसीराम, प्रतिवादी सं0 1 जालुराम, 3 ता 6 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी 1, 3 ता 6 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी घडसीराम व प्रतिवादी 1, 3 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजसव रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़